(12)

परिषद् के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में, दिनांक 27 जुलाई, 1976 को 11-00 बजे अपरान्ह में हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद् की वर्ष 1976 की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

1) श्री वी0एस0कटारा	अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त	अध्यक्ष
2) श्री राज बहादुर द्विवेदी		सदस्य
3) श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित		सदस्य
4) श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव		सदस्य
5) श्री सत्तार अहमद		सदस्य
6) श्री आर0सी0सक्सेना	अनु सचिव, वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
7) श्री ओम प्रकाश	उप सचिव, (सचिव स्वायत्त शासन के प्रतिनिधि)	सदस्य

2—बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1)	परिषद की दिनांक 27 मई, 1976 को हुई वर्ष 1976 की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	IV/(1)/76	परिषद द्वारा ~~सर्व~~ सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।
2)	परिषद् की वर्ष 1976 की तृतीय बैठक दिनांक 27 मई, 1976 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट ।	IV/(2)/76	परिषद ने वर्ष 1976 की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया ।
3)	वित्तीय वर्ष 1976-77 में शासन की गारन्टी रहित रू0 200 लाख के ऋण पत्र जारी करने की अनुमति ।	IV /(3)/76	परिषद ने सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 1976-77 में शासन की गारन्टी रहित रू0 200 लाख (अधिक ~~अवल~~ अभिदान की स्थिति में 10% अतिरिक्त तक) के ऋण पत्र जारी करने के लिये टिप्पणी में लिखित शर्तों के अनुसार अनुमति प्रदान की ।
4)	भूमि अध्याप्ति एवं विकास योजना, के अन्तर्गत शासन से वर्ष 1976-77 में रू0 45 लाख का ऋण ।	IV /(4)/76	परिषद ने सर्वसम्मति से भूमि अध्याप्ति एवं विकास योजना के अन्तर्गत शासन से वर्ष 1976-77 में रू0 45 लाख के ऋण लेने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।
5)	मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजनान्तर्गत 60 भवनों के निर्माणार्थ वर्ष 1976-77 में शासन से 15 लाख रू0 का ~~ऋण~~ ऋण।	IV/(5)/76	परिषद ने मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत 60 भवनों के निर्माणार्थ वर्ष 1976-77 में शासन से 15 लाख रू0 के ऋण लेने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

कृ0पृ0उ0

(13)

1	2	3	4
6)	नियतावधि जमा (फिक्स्ड डिपाजिट) योजना में ब्याज की दर तथा अवधि में संशोधन ।	IV /(6)/76	परिषद ने नियतावधि जमा (फिक्स्ड डिपाजिट) योजना में ब्याज की दर तथा अवधि में संशोधन करने के प्रस्ताव का विचार-विमर्श के पश्चात प्रस्ताव के अनुसार संशोधित दरों को, सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।
7)	सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में ।	IV /(7)/76	परिषद ने प्रस्तुत टिप्पणी पर विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि जिस प्रकार तदर्थ आधार पर कुछ अन्य सहायक अभियन्ता 2 वर्ष की अवधि पार करने के पश्चात् चल रहे है उसी प्रकार वर्तमान सहायक अभियन्ता (विद्युत) को भी चलाया जाये और इनका मामला भी शासन की स्वीकृत्यर्थ भेज दिया जाय ।
8)	परिषद के विभिन्न मामलों में कानूनी राय देने हेतु शासन के संयुक्त विधि परामर्शी तथा उनके आशुलिपिक को देय मानदेय की धनराशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव ।	IV/(8)/76	परिषद ने प्रस्तुत टिप्पणी पर विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि शासन से स्वीकृति के पश्चात संयुक्त विधि परामर्शी जो परिषद का विधिककार्य देख रहे है तथा उनके आशुलिपिक को देय मानदेय की धनराशि बढ़ाकर क्रमशः 250 तथा 50 रू० कर दी जाये ।
9)	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, रूद्रपुर, जिला नैनीताल ।	IV /(9)/76	परिषद ने सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया कि भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, रूद्रपुर, जिला नैनीताल के संबंध में परिषद अधिनियम की धारा 31 (2) के अन्तर्गत शासन की स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाये ।
10)	डायमण्ड डेरी गृहस्थान योजना, लखनऊ से हुये विस्थापितों को आवंटन में सुविधा ।	IV /(10)/76	परिषद ने सर्वसम्मति से डायमण्ड डेरी गृहस्थान योजना, लखनऊ से हुये दोनों विस्थापितों को टिप्पणी में प्रस्तावित स्थल पर भूखण्ड का वास्तविक मूल्य लेकर देने की स्वीकृति प्रदान की ।
11)	परिषद के कार्यकलापो की प्रगति ।	IV /(11)/76	परिषद ने टिप्पणी में प्रस्तुत परिषद के कार्यकलापों की प्रगति का अवलोकन किया । अध्यक्ष महोदय ने नये खोले गये वृत्तों, खण्डों तथा उपखण्डों के संबंध में परिषद को अवगत कराया ।
12)	सार्वजनिक निगमों/प्राधिकरणों को सूचना का प्रेषण ।	IV /(12)/76	परिषद ने टिप्पणी के साथ प्रस्तुत शासन से प्राप्त पत्रों का अवलोकन किया और इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि शासन के पत्र दिनांक 6-1-76 में उल्लिखित बहुत से मदों से परिषद संबंधित नही है तथा अन्य विषय के संबंध में परिषद द्वारा विचार किया ही जाता रहता है अतः परिषद की प्रत्येक बैठक में इन मदों

क्र०पृ०उ०

1	2	3	4
			को अलग से रखने की कोई आवश्यकता नही है किन्तु जो सूचना परिषद में उपलब्ध है उसे शासन को, शासन द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराई जा सकती है ।
13)	परिषद के विशेषाधिकारी के पदनाम में परिवर्तन करने का प्रस्ताव ।	IV/(13)/76	परिषद में सर्वसम्मति से विशेषाधिकारी के पदनाम को बदल कर "सहायक आवास आयुक्त" किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।
14)	परिषद में एक सहायक निदेशक (पब्लिसिटी-कम-पब्लिक रिलेशंस) के पद का सृजन ।	IV/(14)/76	परिषद में एक सहायक निदेशक (पब्लिसिटी-कम-पब्लिक रिलेशंस) के पद के सृजन के संबंध में विचार-विमर्श के पश्चात परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सहायक निदेशक (पब्लिसिटी-कम-पब्लिक रिलेशंस) का एक पद वेतनमान रू० 550-1200 में 31-1-1977 तक सृजित किया जाय और उसके पश्चात् इसको चलाये जाने के लिये परिषद के समक्ष पुनः टिप्पणी रखी जाय । साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया कि सहायक निदेशक के लिये निम्नलिखित स्टाफ के, उनके सम्मुख लिखे वेतनमान में, पदों का सृजन किया जाय :- 1) आशुलिपिक (300-500) एक 2) उ०श्रे०स० (280-450) एक 3) नै०लि० (200-320) एक 4) चपरासी (165-215) एक
15)	जीवन बीमा निगम से प्राप्त रूपया 200 लाख के ऋण हेतु शासन द्वारा गारन्टी दिये जाने के संबंध में इस परिषद द्वारा प्रति प्रत्याभूति (काउन्टर गारेन्टी) दिया जाना ।	IV /(15)/76	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के पश्चात् जीवन बीमा निगम से प्राप्त रूपया 200 लाख के ऋण हेतु शासन द्वारा गारेन्टी दिये जाने के संबंध में इस परिषद द्वारा प्रति प्रत्याभूति (काउन्टर गारेन्टी) दिये जाने की सहमति प्रदान की गई ।
16)	नखास धर्मशाला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, फैजाबाद में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के भवन के पीछे की भूमि का मूल्य लेकर श्री नियाज अहमद के पक्ष में आवंटित किया जाना ।	IV /(16)/76	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि नखास धर्मशाला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, फैजाबाद में समाज के आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के भवन के पीछे की 263-39 वर्ग मीटर भूमि श्री नियाज अहमद के पक्ष में रू० 60 वर्ग मीटर की दर से मूल्य लेकर आवंटित कर दी जाये ।

1	2	3	4
17)	परिषद की योजनाओं में परिवार नियोजन आपरेशन कराने वालों के लिये सुविधायें दिया जाना तथा परिषद के अधिकारियों/तथा कर्मचारियों पर शासन द्वारा चलाये गये परिवार नियोजन अभियान के संबंध में जारी किये गये आदेशों का लागू किया जाना ।	IV/(17)/76	परिषद द्वारा परिषद की योजनाओं में परिवार नियोजन आपरेशन कराने वालों के लिये दी जाने वाली सुविधाओं तथा परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर शासन द्वारा चलाये गये परिवार नियोजन अभियान के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों को लागू किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया । साथ ही साथ परिषद ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि यदि आवश्यक हो तो प्रस्ताव के अनुसार संबंधित नियम तथा विनियमों में भी उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार शासन द्वारा अपने नियमों तथा विनियमों में संशोधन किया जा चुका है या किया जाना है ।
18)	परिषद की नखास धर्मशाला योजना, फैजाबाद का नामकरण ।	IV/(18)/76	परिषद ने नखास धर्मशाला योजना, फैजाबाद का नाम अध्यक्ष द्वारा 'अशफाकुल्लाह नगर' रखे जाने की सूचना का अवलोकन किया गया ।
19)	परिषद में अतिरिक्त आवास आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में ।	IV/(19)/76	परिषद ने परिषद में अतिरिक्त आवास आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में जारी किये गये शासनादेश का अवलोकन करते हुये नियुक्ति का समर्थन किया तथा साथ ही साथ यह निर्णय लिया कि शासन से यह स्पष्ट करा लिया जाये कि इनके तथा इनके स्टाफ पर जो आर्थिक व्यय होगा उसकी पूर्ति शासन द्वारा की जायेगी अथवा परिषद द्वारा । साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि अतिरिक्त आवास आयुक्त के लिये निम्नलिखित पदों का उनके सम्मुख लिखे वेतनमानों में सृजन किया जाये :- 1) आशुलिपिक 300-500 एक 2) अर्दली 165-215 एक 3) चपरासी 165-215 एक
20)	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय ।	IV/(20)/76	श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, संसद सदस्य, तथा सदस्य परिषद ने यह सुझाव दिया कि निर्धन से निर्धन जो जनता है उनके लिये भी आवास परिषद द्वारा भवनों के उपलब्ध कराने के लिये विशेष रूप से ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है । विचार-विमर्श के पश्चात निम्नलिखित सदस्यों की एक उप-समिति का गठन किया गया और यह निर्णय लिया गया कि उपसमिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जाये :- 1) श्री वी०एस०कटारा अध्यक्ष अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त 2) श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव सदस्य 3) श्री राज बहादुर द्विवेदी सदस्य 4) श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित सदस्य यह भी निर्णय लिया गया कि इस उपसमिति के कन्वीनर श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित होंगे ।